

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 09.10.2021

कूटरचित/नकली करेंसी बनाने वाले 02 शातिर अभियुक्त थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा गिरफ्तार, कब्जे से 100 रुपये का एक नकली नोट, नकली करेंसी बनाने में प्रयुक्त एक लैपटॉप व एक प्रिंटर आदि सामान/उपकरण बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री सुरेन्द्रनाथ तिवारी के कुशल निर्देशन व सहायक पुलिस अधीक्षक नगर श्री शशांक सिंह एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात श्री संदीप कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 08.10.2021 की रात्रि में थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम देख-रेख व तलाश वांछित अपराधी एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थी कि जब पुलिस टीम गश्त करते हुए गंगानगर कॉलोनी के गेट पर पहुंची तो मुखबिर द्वारा सूचना मिली की गंगानगर कॉलोनी में L.H.117 फ्लैट में दो व्यक्ति कुछ दिनों से लैपटॉप एवं प्रिंटर की मदद से जाली एवं नोटों की फोटो स्टेट बनाकर चलाने के लिए तैयार करते हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम तत्परता से कार्यवाही करते हुए मुखबिर द्वारा बताए स्थान गंगानगर कॉलोनी में ही L.H. ब्लॉक में चौथी मंजिल पर फ्लैट नंबर-117 में पहुंचे तथा मौके से समय करीब रात्रि 12:30 बजे दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। मौके से 01 लैपटॉप, 01 प्रिंटर कलर मय लीड, फर्जी नोट बनाने के उपकरण आदि बरामद हुए।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

- 1- अंकित गौतम उर्फ राघव पुत्र स्व0 उदयवीर सिंह निवासी म0नं-872 गली नंबर-1 मोहल्ला विजयनगर थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद।
- 2- आर्यन वक्त उर्फ अमित पुत्र स्व0 लोकेश शर्मा मूलनिवासी इरॉस सम्पूर्णम सोसायटी वायरिंग म0नं0-903 पतवारी विलेज ग्रेटर नोएडा वेस्ट।

बरामदगी-

1. 01 लैपटॉप लैनोवा कम्पनी, 01 कलर प्रिंटर मय लीड
2. 100 रुपये का एक फर्जी नोट
3. एक सफेद पेपर पर 500 रुपये की फ्रंट एंड रियर फोटो कॉपी
4. एक सफेद पेपर पर 10 रुपये के नोट की फ्रंट एंड रियर फोटो कॉपी
5. 12 सफेद लिफाफे, 50-50 हजार के 17 चैक भरे हुए
6. 04 चैक विभिन्न नामों से भरे हुए
7. 02 नाईफ कटर
8. 04 मोबाइल फोन विभिन्न कम्पनी के
9. 23 फोर्म लोन भरे हुए, 22 फोर्म लोन बिना भरे फोटो कॉपी आदि उपकरण।

दोनों अभियुक्तों द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि हम लोग फर्जी लोन फार्म भरवाकर प्रत्येक मंबर से 5000 रुपये फाइल चार्ज (प्रोसेसिंग फीस) लेकर उनसे 50,000 रुपये के फर्जी चैक दे देते हैं और जो 100 रुपये, 500 रुपये व 10 रुपये के नोट की फोटोकॉपी को उसे असली नोट के रूप में देकर मार्केट में चला देते हैं तथा पिछले कुछ दिनों से फर्जी नोट बनाने का कार्य कर रहे थे।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली देहात पर मुअसं-1697/21 धारा 420,467,468,471,489ए भादवि पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 प्रमोद कुमार, उ0नि0 रामवीर सिंह
2. का0 आशीष कुमार, का0 सचिन कुमार, का0 समीम, का0 धर्मवीर सिंह